

भारतीय टन भार प्रमाण पत्र (सीवी अधिनियम)

(ऑफ़लाइन)

- 1 रजिस्ट्री के अनंतिम/स्थायी प्रमाणपत्र की प्रति की स्कैन की गई प्रति।
•
- 2 मौजूदा जहाजों के मामले में मौजूदा टन भार प्रमाणपत्र की प्रति की स्कैन की गई प्रति।
•
- 3 यात्री जहाजों के मामले में डीजीएस द्वारा या नए बने मालवाहक जहाज के मामले में आरओ द्वारा विधिवत सत्यापित अंतिम टन भार गणना की स्कैन की गई प्रति।
•
- 4 मौजूदा मालवाहक जहाजों के लिए ध्वज या आरओ से पिछले स्वीकृत टन भार की मात्रा की स्कैन की गई प्रति ।
•
- 5 उस श्रेणी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति जिसके साथ जहाज को वर्गीकृत किया गया है।
•

6 . 1000 रुपये की भुगतान रसीद की स्कैन की गई प्रति जिसका भुगतान केवल भारतकोश के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है।